



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264939
CG-DL-E-24072025-264939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3324]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947

No. 3324]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3400(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'जे डी टी इस्लाम अनाथालय समिति, (पैन: AAATJ1934A) कोझिकोड, केरल की इकाई, 'IQRAA अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल और अनुसंधान केंद्र' को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2026-27 से निर्धारण वर्ष 2030-31 तक पांच निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 125/2025/फा. सं. 203/38/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3400(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves '**IQRAA International Hospital And Research Centre**', under the aegis of '**J D T Islam Orphanage Committee**' (PAN: AAATJ1934A), Kozhikode, Kerala for '**Scientific Research**' under the category of '**Other Institution**' for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be applicable for five Assessment years (AY) from AY 2026-27 to AY 2030-31.

[Notification No. 125/2025/F. No. 203/38/2024/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.